सत्यमेव जयते

न्यायालय मुख्य आयुक्त विकलांगजन

COURT OF CHIEF COMMISSIONER FOR PERSONS WITH DISABILITIES

विकलांगजन सशक्तिकरण विभाग / Department of Empowerment of Persons with Disabilities
सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय / Ministry of Social Justice and Empowerment
भारत सरकार / Government of India

केस संख्या: 1051 / 1024 / 2014 दिनांकः– 12 .05.2017

के मामले में

श्री दिगम्बर बी.घडगे (पाटील) R953
महाराष्ट्र राज्य अपंग कर्मचारी / अधिकारी संगठन,
प्रधान कार्यालय,
नजदीक मंडलायुक्त कार्यालय,
बॉरेक्स संख्या 19, नाशिक रोड,
महाराष्ट्र–422101
ईमेलः patilghadge@gmail.com ..... शिकायतकर्ता

बनाम

कार्यालय महालेखाकार (निर्माण एवं प्राप्ति लेखा परीक्षा), R954
(द्वारा : महालेखाकार)
मध्य प्रदेश भोपाल,
53, अरेरा हिल्स, होशंगाबाद रोड,
भोपाल, मध्य प्रदेश – 462011 ..... प्रतिवादी संख्या–1

डाक एवं दूरसंचार लेखा परीक्षा कार्यालय, R955
(द्वाराः वरिष्ठ लेखा परीक्षा अधिकारी),
संचार भवन एनेक्सी, होशंगाबाद रोड,
भोपाल, मध्य प्रदेश ..... प्रतिवादी संख्या–2

KK

सुनवाई की तारीखः 15.02.2017

उपस्थितः

1. शिकायतकर्ता अनुपस्थित ।
2. सर्वश्री सी.के.शर्मा,एएओ एवं आनन्द श्रीवास्तव, वरिष्ठ ए.ओ., प्रतिवादी की ओर से ।

आदेश

श्री दिगम्बर बी. घडगे (पाटील), कार्यकारी राज्य अध्यक्ष, महाराष्ट्र राज्य अपंग कर्मचारी / अधिकारी संगठन ने निःशक्त व्यक्ति (समान अवसर, अधिकार संरक्षण और पूर्ण भागीदारी), अधिनियम, 1995, जिसे इसमें इसके पश्चात् अधिनियम कहा गया है, के तहत

श्री सतेन्द्र कुमार, 50 प्रतिशत अस्थिबाधित के विभाग द्वारा उत्पीड़न किए जाने से संबंधित शिकायत पत्र दिनांक 10.02.2014 इस न्यायालय में प्रस्तुत किया।

2. संगठन ने अपने उपरोक्त पत्र में पीड़ित श्री सतेन्द्र कुमार के संदर्भ में निम्नलिखित बिन्दुओं को उल्लेखित किया है:–

(क) विभाग द्वारा पीड़ित को दिल्ली में मतदाने हेतु आज्ञा प्रदान किया जाना,
(ख) पीड़ित की विकलांगता पर टिप्पण करना,
(ग) उच्चाधिकारियों द्वारा अनावश्यक कार्यालय ज्ञापन दिया जाना, एवं
(घ) पीड़ित को आवास आबंटित न किया जाना ।

उपरोक्त के अतिरिक्त यह भी अनुरोध किया गया है कि पीड़ित को उनके गृह स्थल दिल्ली में स्थानांतरित करवाया जाए ।

3. मामला प्रतिवादी के साथ इस न्यायालय के पत्र दिनांक 24.02.2016 के द्वारा उठाया गया एवं पत्रों दिनांक 16.12.2015 और 13.10.2016 द्वारा स्मरण पत्र भी जारी किया गया ।

4. वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी/प्रशासन–1, कार्यालय महालेखाकार (आर्थिक एवं राजस्व क्षेत्र लेखापरीक्षा), भोपाल ने अपने पत्र संख्या प्रशा.1/सं. 1/फा. 211(ए)/जा–978 दिनांक 27.10.2016 द्वारा सूचित किया गया कि उनके कार्यालय एवं कार्यालयीन शाखा ग्वालियर में सतेन्द्र कुमार नाम से कोई भी अधिकारी एवं कर्मचारी कार्यरत नहीं है ।

5. प्रतिवादी के पत्र दिनांक 27.10.2016 और उपलब्ध दस्तावेजों की जांचोपरान्त मामले की सुनवाई 15.02.2017 को निर्धारित की गई ।

6. भारतीय लेखा परीक्षा एवं लेखा विभाग, भोपाल ने अपने पत्र दिनांक 09.02.2017 द्वारा निवेदन किया शिकायतकर्ता जोकि लिपिक के रूप में कार्य कर रहा है, ने एक लिखित वचन दिया है और निवेदन किया है कि मुद्दे जो तीन वर्ष पहले उठाए गए थे, अब वे सुसंगत नहीं है । उसने आगे निवेदन किया कि उनका कार्यालय निदेशक, पी एण्ड टी आडिट, नागपुर की अधिकारिता के अन्तर्गत कार्य करता है जोकि महानिदेश

लेखापरीक्षा, पी एण्ड टी, दिल्ली के पूर्ण प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन है । प्रतिवादी ने आगे निवेदन किया कि स्वप्रेरणा से मामले को बन्द किया जाए और उनके कार्यालय को जोकि मामले में पक्षकार है, को न्यायालय में उपस्थित होने के लिए छूट दी जाए ।

7. प्रतिवादी सं. – 1 ने अपने पत्र दिनांक 10.02.2017 द्वारा निवेदन किया कि वर्तमान मे प्राप्त संदर्भित पत्र के साथ संलग्नक से यह जानकारी प्राप्त हुई है कि श्री सतेन्द्र कुमार कार्यालय डाक एवं दूरसंचार लेखापरीक्षा, भोपाल में पदस्थ है एवं इस केस के संबंध में उनसे दूरभाष पर चर्चा करने पर ज्ञात हुआ है कि इनके कार्यालय से उक्त प्रकरण पर इस न्यायालय द्वारा निरंतर पत्राचार चल रहा है । उपरोक्त प्रकरण में इस कार्यालय की श्री सतेन्द्र कुमार का उत्पीड़न करने के संबंध में कोई भी भूमिका नहीं है । जबकि श्री सतेन्द्र कुमार की 50 प्रतिशत अस्थिबाधिता को देखते हुए उनके अनुरोध पर संपदा अधिकारी द्वारा सहानुभूतिपूर्वक विचार करते हुए ए.जी. कालोनी, भोपाल में भूतल के आवास क्रमांक टाईप 1/08 आबंटित किया गया था ।

8. दिनांक 15.02.2017 को सुनवाई के दौरान प्रतिवादी के प्रतिनिधि ने पत्र दिनांक 14.02.2017 तथा शिकायतकर्ता की ओर से इस न्यायालय को भेजी गई ई–मेल दिनांक 14.02.2017 तथा पत्र दिनांक 14.02.2017 इस न्यायालय में प्रस्तुत किया, जिसे अभिलेख पर लिया गया । प्रतिवादी ने निवेदन किया कि शिकायतकर्ता से दिनांक 14.02.2017 को वचनपत्र की प्रति जोकि इस न्यायालय को संबोधित है तथा जिसकी प्रति दिगंबर बी घड़गे (पाटील), महाराष्ट्र राज्य अपंग कर्मचारी/अधिकारी संगठन को अग्रेषित की गई है, प्राप्त कर ली गई है, जोकि इस न्यायालय के सम्मुख प्रस्तुत है, जिसमें शिकायतकर्ता ने निवेदन किया है कि उन्हें वर्तमान मे कार्यालय में कोई भी परेशानियां नहीं है । उनके द्वारा उनकी शिकायत में वर्णित परेशानियों का निराकरण तत्कालीन उप निदेशक द्वारा कर दिया गया था । भविष्य में यदि उन्हें कोई परेशानी होगी तो वे अपने प्रभारी निदेशक या संगठन को अपनी समस्या मौखिक या लिखित में प्रस्तुत करेंगे । प्रतिवादी ने निवेदन किया कि शिकायतकर्ता को अब प्रतिवादी से कोई शिकायत नहीं है, इसलिए उनकी शिकायत को बन्द किया जाए ।

9. प्रतिवादी के प्रतिनिधि को सुनने और उपलब्ध अभिलेख का परिशीलन करने के पश्चात् न्यायालय का संप्रेक्षण है कि शिकायतकर्ता ने अपने पत्र दिनांक 14.02.2017 द्वारा निवेदन किया है कि अब उन्हें प्रतिवादी से कोई शिकायत नहीं है । शिकायतकर्ता के पत्र को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया, जिस पर न्यायालय ने विचार किया और प्रतिवादी को निर्देश दिए बिना मामले का निपटारा किया गया ।

10. तद्नुसार आदेश किया गया ।

(डा. कमलेश कुमार पाण्डेय)
मुख्य आयुक्त निःशक्तजन